संख्या-20/2025/ 106 /25-003-61बी-2016-27-10

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 19 फरवरी, 2024

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद बलिया के ब्लाक बैरिया में तिलापुर (दतहां) पम्प नहर के निर्माण की परियोजना नाबार्ड पोषित हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-95/02-85 तिलापुर (दतहां) पम्प नहर/नलकूप नियंत्रण, दिनांक 17.01.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जनपद बलिया के ब्लाक-बैरिया में तिलापुर (दतहां) पम्प नहर निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु कुल अनुमोदित लागत रू0 30,23,26,000/- के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-4702-101-03-0329-24 'तिलापुर पम्प नहर निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित)' में प्राविधानित धनराशि में से दसवीं/अंतिम किश्त के रूप में (बकाया 05 प्रतिशत की राशि रू0 151.17 लाख में से रू0 42.54 लाख की बचत के साथ) धनराशि रू0 1,08,63,000/- (रूपये एक करोड़ आठ लाख तिरसठ हजार मात्र) व्यय किए जाने हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

प्रश्नगत परियोजना/मद में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-53/2020/1064/सत्ताइस-10-61बजट/16 दिनांक 31.07.2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 तथा वित्त लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17-05-2023 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19-05-2023 में निर्धारित शर्तों /प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,08,63,000 (रुपये एक करोड़ आठ लाख तिरेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 094 **लेखा शीर्षक** 4702001010329 तिलापुर पम्प नहर निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

संख्या-20/2025/106(1)/25-003-61बी-2016-27-10, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(4) मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (नलकूप-वाराणसी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, वाराणसी।
(7) मुख्य अभियन्ता (सूचना प्रणाली संगठन)/नोडल अधिकारी, सी0एम0 आई0एस0 पोर्टल।
(8) वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ।
(9) अनु सचिव (लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/ सिंचाई एवं जल संसाधन अनु0-9/नियोजन अनु0-3
(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(12) गार्ड बुक (बजट)।

आज्ञा से,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।